न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 327–तीन/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–9–08 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 311/2006–07/अपील.

जयदीप सिंह पुत्र हनुमत सिंह
निवासी ग्राम मकसूदनगढ तहसील राधौगढ
जिला गुना ----- आवेदक

विरूद्ध

1– योगेन्द्रसिंह
2– जितेन्द्र सिंह
पुत्रगण गुलाबसिंह
निवासीगण ग्राम मकसूदनगढ
तहसील राधौगढ जिला गुना ---- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेई ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री ए.के. अग्रवाल ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 28–10–1 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 311/06–07 में पारित आदेश दिनांक 26–09–08 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व सहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अतंगत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण कमांक 1/अ–70/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 8–11–06 द्वारा सर्वे नं. 145 रकबा 0.157 हैक्टर पर से अनावेदकों को बेदखल करने के आदेश

अपील की जो उन्होंने अस्वीकार की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं दोनो अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश निरस्त किए । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान के विपरीत है । उन्होने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है अनावेदकों का उक्त भूमि पर कोई वैध अधिकार नहीं है । आवेदक ने अपनी भूमि का सीमाकन कराया गया था जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय ने 28.10.85 को गई तब आवेदकों की जानकारी में यह तथ्य आया कि उसकी भूमि पर अनावेदकों का आधिपत्य है । जानकारी होते ही उन्होंने संहिता की धारा 250 के अंतर्गत दिनांक 16–11–05 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है । यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 250 के प्रावधानो को समझने मे भूल की गई है । अवैध आधिपत्यधारी के अवैध आधिपत्य की जानकारी होने के दिनांक से 2 वर्ष की समयावधि में आवेदन दिया जा सकता है । आवेदक को सीमांकन के पूर्व यह जानकारी नहीं थी कि उसकी भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है । आवेदक ने सीमांकन दिनांक से 20 दिवस के भीतर ही संहिता की धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत किया गय है ।

यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने अभिलेख को देखे बिना ही आवेदक के विपरीत निष्कर्ष निकाले है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अनावेदकों का प्रश्नाधीन भूमि पर 30 वर्ष से अधिक का निरंतर कब्जा है और यह जानकारी आवेदक को रही है । अपर आयुक्त का जो आदेश है वह प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उचित है जिसे स्थिर रखे जाने का निवेदन उनके द्वारा किया गय है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि पर आधिपत्य के संबध मे की गई कार्यवाही के संबंध में है । प्रकरण में सीमांकन कराया जाकर विपक्षी को

आधिपत्य पाए जाने पर तत्काल आवेदन प्रस्तुत किया जो स्वीकार हुआ और उसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की है । अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित हुआ है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह माना है कि 30 वर्षों का आधिपत्य होने से प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत नही है और उन्होंने उक्त आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश मे स्पष्ट किया है कि वर्ष 2005--06 में आवेदक भूमिस्वामी के रूप मे अंकित है और उसके आवेदन पर सीमांकन में विपक्षी का कब्जा पाए जाने पर कब्जे की जानकारी से 20 दिवस के भीतर ही आवेदन दिया है । न्यायदृष्टांत 1975 आर.एन. 149 में यह अवधारित किया गया है कि सीमांकन दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में वाद लाया जा सकता है । आवेदक निर्विवादित रूप से आलोच्य भूमि का भूमिस्वामी है जबकि अनावेदक द्वारा 30 वर्ष को कब्जे का आधार बताया है । इस संबंध में एस.डी.ओ. ने यह पाया है कि अपीलकर्ता ने अपने कब्जे के आधार पर ना तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही व्यवहार न्यायालय में कोई कार्यवाही की है इसलिए भूमिस्वामी को अपनी भूमि का सीमांकन कराकर विधिवत कब्जा वापिस पाने का अधिकार है और इस आधार पर उन्होंने अनावेदक की अपील को निरस्त किया था प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधिक त्रुटि की गई है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में कब्जे का जो आधार बताया है उसकी पुष्टि में ना तो कोई वैधानिक आधार हैं और ना ही विधिसम्मत साक्ष्य । इस कारण अपर आयुक्त का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है ।

(एम. के सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर